न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/17/202	2024/ 156	12-06-2024	09-01-2025

01— कैलाश चंद सैनी पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल सैनी जाति माली निवासी सी—93 शक्ति नगर, साहब जोहडा शहर व जिला अलवर (राजस्थान)

— अपीलाण्ट

बनाम

01— नगर विकास न्यास अलवर जर्ये सचिव नगर विकास न्यास अलवर (राजस्थान)
02— अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर (राजस्थान)

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अतिक्रमण निरोधक अधिकारी
निर्णय दिनांक 13.01.2021

उपस्थितः—
01—श्री चन्द्र मोहन शर्मा —वकील अपीलान्ट
02—श्री अशोक शर्मा —वकील रेस्पो0

निर्णयः—

अपीलाण्ट ने यह अपील अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2021 को खातेदारी भूमि में किये गये निर्माण को सड़क पर अतिक्रमण मानते हुए हटाने के आदेश दिये गये, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपील अन्तर्गत धारा 91—ए (2) नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। तजबीज दिनांक 13.1.2021 अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर की जानकारी नोटिस कमांक 4380/21 दिनांक 16.02.2021 जो अपीलांट को दिनांक 18.02.2021 को प्राप्त हुआ जिसके पश्चात सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन पर दिनांक 17.03.2021 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने के कारण अपील बाद जानकारी मामूलन अन्दर अवधि है बतौर विकल्प पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जिस मेनर ओफ अपरोच से आदेश पारित किया है वो न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों के प्रतिकूल है।

अपीलांट के पिता प्यारेलाल सैनी पुत्र श्री काना को विरासत मे आराजी खसरा नंबर 455, 456, 457, 475 कुल किता 4 रकबा 0.42 है0 वाके अलवर नंबर 1 प्राप्त हुई थी जिसमे उनका 1/2 हिस्सा था। अपीलांट के पिता जमीदार थे व लम्बे अर्से तक जिमन नंबर 5 मे वर्णित आराजी व अन्य आराजी पर काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपीलांट के पिता की खातेदारी की आराजी के आस पास अन्य आराजी मे आबादी बस जाने के कारण अपीलांट के पिता श्री प्यारेलाल व उनके भाई आन्या पुत्रान काना ने अपनी खातेदारी की जमीन मे प्लाट काटकर विक्रय कर दिये थे। अपीलांट के पिता ने वर्ष 1978 में ही अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नंबर 455 मे निर्माण किया हुआ था, जिसमे उनकी रिहायश थी जिसमें अपीलांट के पिता के नाम से ही विद्युत संबंध जारी है। नगर विकास न्यास द्वारा अलवर नंबर 1 में स्थित कृषि भूमि जिनमे खातेदारो ने प्लाट काटकर विकय कर दिये थे व उन

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पर मकान बनाये जाकर सघन आबादी बस गई थी जिसमे अपीलांट के पिता की खातेदारी की आराजी भी थी उसका ले–आउट बनाया गया है। रेस्पो० द्वारा अपीलांट के पिता द्वारा वर्ष 1978 में करवाये गये निर्माण जिसमे उनकी रिहायश थी व विद्युत संबंध जारी था उसके क्रम में पिता के निधन 05.07..2013 के लगभग 3 वर्ष पश्चात नोटिस कमांक 5095 दिनांक 9.12.2016 जारी किया, जिसका जवाब अपीलांट द्वारा नगर विकास न्यास में दिनांक 13.12.2016 को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर प्रस्तुत कर दिया था, जिस पर कार्यवाही ड्रोप कर दी गई। तदउपरान्त रेस्पो० द्वारा पुनः नोटिस कमांक 4069 दिनांक 23.11.2020 जारी किया जिसका भी जवाब व्यक्तिगत तोर पर उपस्थित होकर दिनांक 26.11.2020 को प्रस्तुत किया गया, जिसमे पूर्व मे दिये गये नोटिस व जवाब को वर्णित किया गया था। रेस्पो० द्वारा तदउपरान्त नोटिस कमांक 4380 दिनांक 16.2.2021 द्वारा यह जानकारी हुई कि मिसल नंबर 358/20 मे 13.01.2021 को अपीलांट की अनुपस्थित में उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 13.01.2021 पारित किया गया है। रेस्पो० द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.1.2021 न्याय के सर्वमान्य प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत है। आराजी खसरा नंबर 455 अपीलांट के पूर्वजों की है जिस नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त नहीं किया गया है व उस पर किया गया निर्माण भी लगभग 44 वर्ष से है जिसे अतिक्रमण की संज्ञा गलत प्रकार से दी जा रही है। रेस्पो० द्वारा पारित आदेश तथ्य व विधि विरुद्ध है जिस बिना पर तजबीज अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद गौर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तजबीज दिनांक 13.01.2021 अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास अलवर, अपास्त किया जाये।

रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपी0 अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि उक्त आराजी कृषि भूमि थी जिस पर अपी0 द्वारा बिना रूपान्तरित किये प्लॉट काटकर अवैध निर्माण किया गया है जो कि अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में नजीर 2015 (2) CDR page 929 (Raj.) पेश की गई है। अतः निवेदन किया कि उक्त अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश निर्णय दिनांक 13.01.2021 वाके शहर व जिला अलवर के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 06.04.2021 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह 24 दिन पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है, अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से पेश की है, तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2021 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.02.2021 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वकील अपीलाण्ट/रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया।

हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है, प्रार्थी के पिता ने वर्ष 1978 से इस आराजी में मकानात बनाए हुए हैं जिसमें अपी0 का परिवार शुरू से ही निवास कर रहा है तथा बिजली पानी की सुविधा ली हुई है। इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह भूमि रास्ते के रूप में काम में ली जा रही हो। अपीलाण्ट अधिवक्ता का यह भी कथन है कि यह भूमि उसके पूर्वजों की है तथा कभी–भी इसे आवाप्त नहीं किया गया और न ही इस खसरे में कोई

अति. रक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

भूखण्ड इत्यादि काटे गए हैं। इसलिए इस भूमि का उपयोग रास्ते हेतु किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपी0 की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 निरस्त किया जाता है और रेस्पो0 को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर निर्मित अपी0 के निर्माण को हटाया नहीं जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)